Indian J. Soc. & Pol. 08 (02) : 103-106 : 2021 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2021 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक विवेचन

पुष्पा कुमारी[1]
[1]सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग जे.वी.एम.जी.आर.आर महाविद्यालय चरखी दादरी (हरियाणा), भारत

ABSTRACT

शिक्षा व्यक्ति, सामाजिक समूहों, राष्ट्रों और मानव समाज की मूलभूत आवश्यकता रही है। आधुनिक विश्व इसे मौलिक मानवाधिकार के रूप में देखता है। भारतीय गणराज्य की स्थापना के समय से ही शिक्षा के बारे में अधिकांश प्रमुख समितियों या आयोगों ने सबके लिए शिक्षा के विचार को निर्विवाद रूप से रेखाकिंत किया है। लेकिन कठिन प्रयासों के बावजूद भी पहले की रिपोर्टो और नीतियों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश की शैक्षिक यात्रा बड़ी असमान रही है और स्वतंत्रता के सात दशक पूरे हो जाने के बाद भी कई वाजिब उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। क्योंकि भारत जैसे विशाल, घनी आबादी वाले और सामाजिक–आर्थिक विषमताओं से चरमराते विविधतापूर्ण देश के लिए किसी भी नीति पर अमल कर पाना हमेशा एक चुनौती रही है। भारत में आखिरी राष्ट्रीय 1986 में बनी थी। 1986 से लेकर वर्तमान समय तक इन 34 वर्षो में विश्व अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजरा है। तकनीकी विकास के कारण विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए है जिनसे जाति, वर्ग, संस्कृति, स्त्री–पुरुष, भौगोलिक दूरियाँ जैसे भेदभाव की अनेक दीवारें काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी है। इससे लोगों की आशाएँ और आकांक्षाए जोरदार तरीके से जग चुकी है। आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ होने के ढ़ाई दशकों के दौरान हमारी शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से जारी व्यापक कमियों और विकास की आकांक्षा में आतुर भारत की छटपटाहट को दूर करने के लिए कोई राष्ट्रीय विस्तृत परिकल्पना सामने नहीं आ पाई थी। इसी राष्ट्रीय विस्तृत परिकल्पना को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने व्यापक आधार वाली और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्राथमिकता दी है। यह शिक्षा नीति 34 वर्षों से चली जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। अतः प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विवेचनात्मक अध्ययन करना है।

KEYWORDS : प्रावधान, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, साक्षरता, एनईपी

शोध–पत्र के उद्देश्य

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करना।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा नीति में होने वाले बदलाव का अध्ययन करना।

शोध–पत्र का महत्त्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल द्वारा मंजूरी मिलने से स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपान्तरकारी सुधार के रास्ते खुल गए है। यह शिक्षा नीति सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है तथा साथ ही मूल अधिकारों, कर्तव्यों तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहन भावना का सृजन किया जाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के कारण

नई शिक्षा नीति लागू करने का मुख्य कारण वर्तमान समय में वैश्वीकरण के दौर में ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बदलते वैश्विक परिवेश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत थी। अतः इसलिए शिक्षा की गुणवता में वृद्धि करने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने तथा शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए पूर्ववर्ती नीति में परिवर्तन की आवश्यकता के कारण नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल किया गया।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ

नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु जून 2017 में पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई, 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पूर्व वर्ष 1968 में पहली तथा 1986 में दूसरी शिक्षा नीति घोषित की गई थी। दूसरी शिक्षा नीति को 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति देश में विद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का पथ प्रशस्त करेगी। यह नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैः–

स्कूली/प्रारंभिक शिक्षा संबंधी प्रावधान

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैः–

1: Corresponding Author

➢ नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों (प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर) तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

➢ स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढ़ाँचे का विकास और नवीन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

➢ एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।

➢ बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढ़ांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए हैं।

1. बुनियादी स्तर (5 वर्ष) खेलकूद/क्रिया आधारित अध्ययन का प्रावधान	2. **तैयारी स्तर (3 वर्ष)** खेल, अन्वेषण एवं क्रिया आधारित एवं अन्तः क्रियात्मक
3. **मध्य स्तर (3 वर्ष)** विज्ञानों, गणित, कला, सामाजिक विज्ञानों एवं मानविकी में प्रयोगात्मक अध्ययन	4. **माध्यमिक स्तर (4 वर्ष)** बहुविषयक अध्ययन, अधिक क्रांति चिंतन, लचीलापन एवं विद्यार्थी की पसन्द के विषय

➢ नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की विद्यालयी शिक्षा होगी।

➢ एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) उपलब्ध कराई जाएगी।

➢ ईसीसीई (अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन) की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

➢ बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढ़ंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए 'एनईपी 2020' में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान' पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है।

➢ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेड 5 तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही मातृभाषा को कक्षा–8 तक तथा उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है।

➢ स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों को संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। किन्तु किसी छात्र के लिए भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

➢ बधिर बच्चों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शैक्षणिक सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) को देशभर में मानकीकृत किया जाएगा।

➢ एनईपी 2020 में योगात्मक आंकलन के बजाए नियमित एवं रचनात्मक आंकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता–आधारित है, सीखने के साथ–साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है और उच्च स्तरीय कौशल का आंकलन करता है।

➢ छात्रों के सम्पूर्ण विकास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेड 10 एवं 12 की परिक्षाओं में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही इसमें आगे चलकर सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

➢ छात्रों की प्रगति एवं मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए 'परख' नामक एक 'राष्ट्रीय आंकलन केन्द्र' की स्थापना का सुझाव है। इस नीति के अंतर्गत छात्रों की प्रगति के आंकलन तथा उन्हें अपने भविष्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बृद्धिमता' आधारित साफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।

➢ नई शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए 'बालक–बालिका समावेशी कोष' और 'विशेष शिक्षा जोन' की स्थापना करना भी शामिल है।

➢ स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढ़ांचागत सुविधाओं का उपयोग 'सामाजिक चेतना केन्द्रो' के रूप में किया जा सकता है।

➢ विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नित्यप्रति खेल–कूद, नृत्य, मार्शल आर्ट तथा योगा आदि को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम इत्यादि में प्रतिभाग कर सकें।

शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में सुधारों की प्राथमिकता

नई शिक्षा नीति में शिक्षक व शिक्षण व्यवस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित सुधारों को प्राथमिकता दी गई है :–

➢ इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तथा उनकी पदोन्नति का आधार उनका कार्य प्रदर्शन होगा।

➢ वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एनपीएसटी) का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' का विकास एनसीईआरटी से परामर्श के आधार पर किया जाएगा।

➢ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान भी है कि 2030 के बाद 4 वर्षीय इण्टीग्रेटेड बी.एड. वाले ही स्कूलों में अध्यापन कार्य कर सकेंगे, दो वर्षीय बी.एड. डिग्री भी होगी, किन्तु यह उन्हीं लोगों के लिए होगी जो कुछ विशेष विषयों में स्नातक होंगे। एक वर्षीय बी.एड. का प्रोग्राम भी होगा लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उनके बराबर योग्यता वाले छात्रों के लिए ही होगा।

उच्चतर शिक्षा के लिए नीति के प्रमुख प्रावधान

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उच्चतर शिक्षा नीति से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैः–

➢ एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटे जोड़ी जाएगी।

➢ चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।

➢ पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन का सृजन किया जाएगा।

➢ यूजीसी और एआईसीटीई को एक एकल उच्च शिक्षा नियामक (भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, एचईसीआई) में बदल दिया जाएगा।

➢ देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विद्यालय (एमईआरयू) स्थापित किए जाएंगे।

➢ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है, इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के पाठ्यक्रम को छोड़ा जा सकेगा और उन्हें उसी अनुरूप डिग्री या सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जैसे :–

1 वर्ष की शिक्षा पर प्रमाण–पत्र	2 वर्ष की शिक्षा पर डिप्लोमा	3 वर्ष की शिक्षा पर स्नातक डिग्री	4 वर्ष की शिक्षा पर शोध के साथ स्नातक डिग्री

इस नीति के तहत विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने हेतु एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, जिससे अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकेगी।

➢ नई शिक्षा नीति के तहत जो छात्र शोध के क्षेत्र में जाना चाहते है, उनके लिए 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम होगा। ऐसे छात्र एक वर्ष के परास्नातक (पीजी) के साथ 4 वर्ष के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएच.डी. या डी.फील में प्रवेश ले सकेंगे। इस नीति के तहत एम.फील पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है।

➢ विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी जिसमें अनुसंधान केन्द्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केन्द्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायतशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे।

➢ महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायता प्रदान करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायतशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाऐंगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जाएंगे।

➢ छात्रवृति पाने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन, बढ़ावा देने और ट्रैक करने के लिए 'राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल' का विस्तार किया जाएगा।

➢ नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी।

➢ नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों से संबंधित प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केन्द्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युकत प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को अपनाए जाने का प्रावधान है।

जनजाति शिक्षा में बदलाव सम्बन्धी प्रावधान

➢ नई शिक्षा नीति में जनजातीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई नीति में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल पर केन्द्रित है। भाषा से संबंधित विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे जनजाति बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

➢ जनजातीय और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को नए उत्साह के साथ लिया जाएगा, लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ प्रौद्योगिकी और क्राउड सोर्सिंग इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संबंधी प्रावधान

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत चिकित्सा एवं कानून की शिक्षा के अतिरिक्त सम्पूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के कार्यों को प्रभावी और पारदर्शी ढ़ंग से निर्धारित करने हेतु चार संस्थानों का चयन किया गया है :–

➢ विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चत शिक्षा नियामक परिषद्।

➢ वित्त पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद् का गठन।

➢ मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद् का गठन।

➢ प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रावधान

➢ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) नामक एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा।

➢ शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का सही रूप से एकीकरण करके, उसका उपयोग कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार लाने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबन्धन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा।

➢ गुणवतापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई–शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समक्ष चुनौतियाँ

नई शिक्षा नीति 2020 के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन इस प्रकार है :–

➢ भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिकतर राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड है, अतः इस नीति के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को आगे आना होगा।

➢ नई शिक्षा नीति के तहत शीर्ष नियन्त्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद् को लाने सम्बन्धी विचार का राज्यों द्वारा विरोध किया जा सकता है। इस शिक्षा नीति के तहत विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। अतः विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महंगा होने की आशंका है। अतः निम्न वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

➢ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है कि त्रि–भाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में कुशल शिक्षकों का अभाव है, अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यवहारिक क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएँ भी है।

➢ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती वित्त पोषण की है। वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में GDP के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च करने की सरकार की इच्छाशक्ति कितनी है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध के आधार पर हम कह सकते है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने वाले बिन्दुओं पर फोकस करती है। इस नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बहुत से क्षेत्रों में आमूलचूल बदलाव आने की संभावना है। अतः केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है अगर इसका क्रियान्वयन केन्द्र व राज्य सरकारें उचित ढ़ंग से करेंगी तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी और आशा है कि राष्ट्रीय पुनर्निमाण के इस कार्य में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी।

REFERENCES

योजना, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति', सितम्बर 2020

दैनिक जागरण, 30 जुलाई, 2020

अमर उजाला, 30 जुलाई, 2020

दैनिक भास्कर, 30 जुलाई, 2020